

मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चल लक्ष्य

(मौजूदा बाजार मूल्यों पर)

	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	के लिए लक्ष्य	
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-2018
1. प्रभावी राजस्व घाटा	1.8	2.0	1.5	0.00
2. राजस्व घाटा	2.9	2.8	2.4	2.0
3. राजकोषीय घाटा	4.1	3.9	3.5	3.0
4. सकल कर राजस्व	9.9	10.3	10.5	10.7
5. वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारियां	46.8	46.1	44.7	42.8

टिप्पणी:—

1. "स.घ.उ." से आशय 2004-05 से नई श्रृंखला के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद से है।
2. "कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दरों पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमानों के लिए स्थिर विनिमय दरें परिकल्पित हैं। देनदारियों में एनएसएसएस का भाग तथा कुल एमएसएस देनदारियां, जो कि केंद्रीय सरकारी घाटे के वित्तपोषण के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती हैं, शामिल नहीं हैं।

1. चुनिंदा राजकोषीय संकेतकों पर चालू वित्त वर्ष के निष्पादन तथा अगले वित्त वर्ष के लिए चल लक्ष्यों को ऊपर दर्शाया गया है। जैसा कि इसमें तथा अगले अध्याय में बताया गया है ये बदलाव सरकार की उभरती प्राथमिकताओं के कारण चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन स्वरूप केंद्र तथा राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों में संरचनात्मक बदलाव के चलते अनिवार्य हो गए हैं।

2. चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान हुए निष्पादन ने राजकोषीय सुधार प्रक्रिया को और भी पुष्ट किया है। कई वृहद-आर्थिक विकासों ने समेकन की प्रक्रिया का मजबूती से अनुपालन करने में सरकार के प्रयासों की सहायता की है। जबकि कर राजस्व में मंद वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की गिरती कीमतों, चालू खाता घाटों आदि पर लाभ से सब्सिडी के दबाव से राहत मिली और इससे राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल करने के क्रम में किए जा रहे व्यय प्रबंधन की पर्याप्त गुंजाइश भी मिली है।

3. यद्यपि संशोधित खाके के साथ-साथ आम बजट 2015-16 राजकोषीय समेकन की दिशा में एक अहम कदम है। 14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के पहले वर्ष में राज्यों को उच्चतर अन्तरण के साथ ही बजट 2015-16 में केंद्र को कर-संसाधनों में कमतर हिस्सेदारी मिली है। अतः बजट अनुमान 2014-15 की तुलना में बजट का आकार मामूली तौर पर संकुचित होते हुए संशोधित अनुमान के मुकाबले 5.7 प्रतिशत की वृद्धि ही कर सका है। हालांकि, सरकार ने घाटे पर अपना रुख कायम रखा है। वित्त वर्ष 2014-15 में 4.1 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2015-16 में

3.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा लक्ष्य को अपनाए रखा है तथापि यह राजकोषीय रूपरेखा में यथानुपालित 3.6 प्रतिशत के विचलन को दर्शाता है। यह पुनर्अंशांकन एक तरफ मौद्रिक नीतिगत सरलता को हासिल करने के लिए राजकोषीय सुधारों के मार्ग में अविचलित बने रहने की जरूरत से संचालित था तो दूसरी ओर सामाजिक तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए यथेष्ट संसाधन जुटाने के लिए आधारभूत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने की जरूरतों से अनुप्रेरित था। इस प्रकार, बजट 2014-15 में घाटा लक्ष्य को 4 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखा गया था, जबकि 2016-17 से 2017-18 तक घाटा लक्ष्य को प्रति वर्ष 3 प्रतिशत तक लाना है। तदनुसार, अगले तीन वर्षों 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में घाटा लक्ष्यों को क्रमशः 3.9, 3.5 तथा 3.0 प्रतिशत निश्चित किया गया है। उल्लेखनीय है कि राजकोषीय घाटा लक्ष्य 3 से 4 प्रतिशत स्तरों तक ही रहे हैं। मध्यम आवधिक ढांचे में ये 3 प्रतिशत के दायरे में ही रहे हैं। संसाधनों में व्याप्त तनाव के चलते राजस्व सहभागिता में हो रहे बदलाव के बावजूद घाटे को प्रगामी तौर पर निरंतर नीचे लाने की दृष्टि बजट 2015-16 में रही है। इसी प्रकार राजस्व लक्ष्यों को नए सिरे से अंशांकित किया जाएगा और बजट के साथ ही संसद में एफ.आर.बी.एम अधिनियम/नियमों में संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे।

4. 14वां वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) बजट 2015-16 का एक विषय है। जैसा कि राजकोषीय नीतिगत विवरण में उल्लेख किया गया है, सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) करके, अनेक केन्द्रीय

प्रायोजित स्कीमों को फिर से तैयार करने के लिए सहकारी संघवाद क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक संस्थागत बदलाव किया है। चौदहवें वित्त आयोग ने करों में राज्यों के हिस्से में यथेष्ट प्रमात्रात्मक वृद्धि करते हुए विकास कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाया है और दायित्व को केन्द्र और राज्यों के बीच बांट दिया है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि वित्त आयोग ने बाद में जिसका अधिदेश दिया है सरकार ने उस पर वित्त वर्ष 2014-15 में ही काम शुरू कर दिया था।

5. वस्तुओं की संशोधित स्कीम में केंद्र मंच मुहैया कराने वाली भूमिका में बना रहेगा किन्तु स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाले विविध विकासपरक कार्यक्रमों और गतिविधियों में राज्यों को खुद आगे आना होगा। इस प्रकार बजट 2015-16 आयोजना-भिन्न व्ययों, केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में न्यूनतम आधारभूत वृद्धि उपलब्ध करा रहा है। सरकार सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत कल्याणकारी कार्यक्रमों का संरक्षण करेगी जिनमें अल्पसंख्यकों, निःशक्तों, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़े मामले शामिल हैं। उच्चतर अंतरण की दृष्टि से राज्यों की ओर से संभावित उच्चतर अंशदान के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में केंद्र की हिस्सेदारी घटाई गई है। इस प्रकार कतिपय अन्य राज्य मामलों में स्कीम को आबंटन संभवतः केंद्र द्वारा मुहैया न कराया जाए क्योंकि इन स्कीमों की जरूरतों और दक्षता का निर्णय राज्यों को ही करना होगा। कार्यान्वयन के तरीकों, उसके साधन में किए गए बदलाव के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है और निःसंदेह इस प्रयोग को एक सांक्रान्तिक काल की आवश्यकता है। इसलिए वित्त वर्ष के आरंभिक भाग में स्कीम को जारी रखने की जरूरत को दुबारा जांचने के उपबंध के साथ-साथ प्रथम त्रैमासिकी में जरूरतों को पूरा करने के लिए कतिपय न्यूनतम प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। आगे इस बजट में प्रेरित बदलावों के अनुरूप क्रियान्वयन तंत्र के साथ-साथ कई स्कीमों की डिजाइन में भी बदलाव लाए जाने की जरूरत है। ये ब्यौरे आयोजना व्यय के बाद के खंडों में दिए गए हैं।

6. रुझानों के दृष्टिगत, वित्त वर्ष 2015-16 में सकल कर राजस्व में सं.अ. 2014-15 की तुलना में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका निहितार्थ स.घ.उ. में कर अनुपात 10.3 प्रतिशत है। वर्ष 2015-16 में कुल व्यय संशोधित अनुमान की तुलना में 5.7 प्रतिशत तक की मामूली वृद्धि अनुमानित है और यह स.घ.उ. के 12.6 प्रतिशत पर स्थिर है। ब.अ. 2014-15 की तुलना में, ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार, संकुचित संसाधन आधार और चौदहवें वित्त आयोग के पश्चात राजकोषीय समेकन के कारण कुल व्यय में 1 प्रतिशत तक की कमी आई। गत कुछ वर्षों में कर-भिन्न राजस्व में वृद्धित रुझान देखे गए हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में उच्च आधार के बावजूद, इसे ऊर्ध्वगामी संशोधित किया गया है। तथापि, संवर्धित आधार पर 2015-16 में वृद्धि संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 1.8 प्रतिशत है, किन्तु यह स.घ.उ. के 1.6 प्रतिशत पर स्थिर रही है। व्यय की दृष्टि से, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में विनिमय दर के मूल्यांकन और कच्चे तेल की कीमतों के घटने पर आधारित सब्सिडी के लिए वास्तविक आबंटन का प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2014-15 में पेट्रोलियम और उर्वरक संबंधी सब्सिडी बिल में कुछ बचत की

गुंजाइश थी, जबकि खाद्यान्न हेतु अतिरिक्त आबंटन किया जाना था। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के घटने की वजह से ईंधन मूल्यों में कुछ सुधार आरम्भ करने तथा वित्तीय भार से निजात पाने के लिए अत्यधिक आवश्यक अवसर प्राप्त हुआ। सं.अ. 2014-15 में पर्याप्त निर्माण हेतु कारवां को भरने के लिए अतिरिक्त आबंटन किया गया है। आशा है कि स.घ.उ. के अनुपात के रूप में, बड़ी सब्सिडियां सं.अ. 2014-15 में 2.0 प्रतिशत से घटकर ब.अ. 2015-16 में 1.6 प्रतिशत रह जाएंगी। डीजल मूल्यों के विनियंत्रण और एलपीजी सब्सिडी के यौक्तिकीकरण के साथ, आशा है कि बजट में किया गया ईंधन सब्सिडी संबंधी प्रावधान पर्याप्त होना चाहिए। तथापि, खाद्य सब्सिडी हेतु वृद्धित आबंटन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अपेक्षाओं के दृष्टिगत बनाए रखा गया है। जबकि 2015-16 में आयोजना-भिन्न व्यय को स.घ.उ. के 9.3 प्रतिशत तक सीमित करके, सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सं. अ. की तुलना में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

7. सं.अ. 2014-15 में ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों को अधोगामी संशोधित कर ₹42,236 करोड़ कर दिया गया है। राज्यों को वृहत्तर अंतरण के कारण केन्द्र के लिए कर राजस्व में कमी आने के पश्चात अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत को पूरा करने के लिए ब.अ. 2015-16 में, ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों को ऊर्ध्वगामी संशोधित किया गया है तथा ₹80,253 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। सं.अ. 2014-15 में स.घ.उ. के अनुपात के रूप में केन्द्र संबंधी निवल कर 7.2 प्रतिशत से काफी घटकर ब.अ. 2015-16 में 6.5 प्रतिशत रह गया है। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्ति सं.अ. 2014-15 में 8.9 प्रतिशत से घटकर ब.अ. 2015-16 में स.घ.उ. के अनुपात के रूप में 8.1 प्रतिशत रह गई है। ऋण संबंधी प्राप्तियों में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि राजकोषीय घाटे को कम करके 3.9 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार, चौदहवें वित्त आयोग के प्रभाव को आमेलित करने और समेकन के पथ पर निरंतरता बनाए रखने के पश्चात, केन्द्र के कुल संसाधनों, यद्यपि संशोधित रूप-रेखा के साथ, में ब.अ. 2014-15 से मामूली गिरावट आई है।

8. राजस्व नियमों के तहत 31 मार्च, 2015 तक प्रभावी राजस्व घाटे का उन्मूलन करना और राजस्व घाटे को 2.0 प्रतिशत तक सीमित करना अपेक्षित है। बजट 2014-15 के साथ प्रस्तुत एमटीईएफ विवरण में उल्लेख किए गए अनुसार, इस शर्त से राजस्व लेखा संबंधी असंतुलन दूर होना अपेक्षित है। जबकि, 2012-13 में अंगीकृत रूप-रेखा के अनुसार राजकोषीय घाटे से बचकर रहा जा सकता था, राजस्व लेखा संबंधी लक्ष्यों हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए निधियों के अंतरण पर और अधिक जोर देकर आयोजना स्कीमों के अभिकल्पन में संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता थी। वित्त वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का पुनः अभिकल्पन, तथापि, इसकी गुंजाइश सीमित थी क्योंकि परिवर्तनों को कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए सामाजिक और कल्याण क्षेत्रों में किए जाने के दृष्टिगत संतुलित किया जाना होता है। बजट 2015-16 में राजस्व घाटे को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए

2.8 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। राजस्व घाटे को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी राजस्व घाटे का उन्मूलन करने और राजस्व घाटे को स.घ.उ. के 2 प्रतिशत तक सीमित करने के साथ राजकोषीय घाटा लक्ष्य नियत किए जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, एफआरबीएम अधिनियम और नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं।

वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए राजकोषीय संभावना

9. आम बजट 2015-16 राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए, सरकार की प्रतिबद्धता की अभिपुष्टि करता है। तदनुसार, इस वर्ष की राजकोषीय नीति में राजकोषीय घाटे का 3.9 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलकर, वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में मध्यावधि राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को उत्तरोत्तर घटाकर क्रमशः 3.5 प्रतिशत तथा 3.0 प्रतिशत पर लाया जाएगा। इसमें मध्यावधि की तुलना में सीमित राजकोषीय गुंजाइश अंतर्निहित है। राजकोषीय औचित्य की यह प्रक्रिया, जो अब तक काफी हद तक व्यय से संबद्ध रही है, आने वाले वर्षों में और अधिक संसाधन जुटाकर पूरी करनी होगी।

10. आम बजट 2015-16 में प्रस्तुत राजस्व लेखा, राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा संबंधी राजकोषीय मानदंड, राजकोषीय नियमावली में निर्धारित सीमा के बाहर रहे। जबकि 2015-16 में 2.8 प्रतिशत का राजस्व घाटा सं.अ. 2014-15 में 2.9 प्रतिशत से मामूली सुधार दर्शाता है, प्रभावी राजस्व घाटा सं.अ. 2014-15 में 1.8 प्रतिशत से ब.अ. 2015-16 में बढ़कर 2.0 प्रतिशत पर आ गया। यह मुख्यतया राज्यों को संसाधनों के अंतरण की प्रकृति में परिवर्तन के कारण हुआ। यह रोचक है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों को संयुक्त अंतरण (करों और शुल्कों का अंतरण), जो 2014-15 में कुल अंतरण का लगभग 49 प्रतिशत था, 2015-16 में तेजी से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया। कुछ वर्षों तक, राजकोषीय समेकन को जारी रखते समय राजस्व लेखा असंतुलनों के संबंध में कुछ राजकोषीय नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया है। आशा है कि संक्रमण का चरण वित्त वर्ष 2015-16 में समाप्त हो सकता है, जिसमें राजस्व लेखे में सुधार को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। तदनुसार, बजट 2015-16 में एफआरबीएम अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है। संशोधन के बाद नए नियम अधिसूचित किए जाएंगे।

11. गरीबों और जरूरतमंदों के हितों की रक्षा करने लिए सरकार ने कल्याणकारी कार्यक्रमों को जारी रखने का निर्णय लिया है जबकि विकास स्कीमों में राज्यों के लिए अधिक संभावना दी गई। इस प्रकार से, बहुत अधिक निधियां जो अन्यथा पूंजी व्यय के लिए सहायता अनुदान समझी जाती थी, संयुक्त निधि में आमेिलित हो गईं, उन्हें अब सीधे राज्यों को अंतरित किया जाना है।

12. तथापि, यह उल्लेख करना उचित है कि 14वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन से केंद्र का संसाधन आधार प्रभावित होगा। कर राजस्वों के बंटवारे की पद्धति में तीव्र उछाल के चलते राज्यों के

राजस्व, जो अधिकतर मामलों में आधिक्य हैं, एक तरफ और सुदृढ़ हो जाएंगे और केंद्र को चालू समेकन के कठिन दौरों में से एक दौर में संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, ये राजस्व वित्त वर्ष 2015-16 में निरुद्ध हुए हैं, यह मध्यावधि रूपरेखा में 2016-17 और 2017-18 में जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, 7वें वेतन आयोग का प्रभाव भी 2016-17 में पूर्णतया अवशोषित किया जा सकता है। एक वर्ष बढ़ाया गया समेकन का चरण इस अवधि में और बढ़ जाएगा। अतः मध्यावधि रूपरेखा में राजकोषीय स्थिति दबाव में बनी रहेगी। तथापि, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के नए प्रतिमान के अंतर्गत आयोजना पक्ष में आवश्यक सुधारों के चलते और सब्सिडियों को बेहतर ढंग से लक्षित करके व नीतिगत कार्यक्रमों में सुधार से यह संभावना है कि मध्यम रूपरेखा में बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तैयार करने के लिए गुंजाइश छोड़ते हुए अधिकतर राजकोषीय सुधार आकार ले चुका होगा। यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस आरंभिक चरण में इसे निपुण युक्ति की जरूरत होगी।

13. सकल कर राजस्व 2014-15 के संशोधित अनुमान में स.घ.उ. के 9.9 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 के बजट अनुमान में (2014-15 के संशोधित अनुमान की तुलना में 15.8 प्रतिशत वृद्धि प्रतिबिंबित करते हुए) 10.3 प्रतिशत होने का अनुमान है जो कि फिर भी 2007-08 के दौरान प्राप्त स.घ.उ. के 11.9 प्रतिशत के शीर्ष से कम है। अर्थव्यवस्था के आर्थिक कायाकल्प के लिए तैयार होने के चलते कर - स.घ.उ. अनुपात के प्राप्त लक्ष्य को वापस पाना संभव होगा। मध्यावधिक लक्ष्यों में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल कर संग्रहण 2016-17 में 10.5 प्रतिशत और 2017-18 में 10.7 प्रतिशत अनुमानित है।

14. वित्त वर्ष 2015-16 में संसाधनों में कमी के बावजूद सरकार राजकोषीय घाटा 2014-15 के संशोधित अनुमान 2014-15 में 4.1 प्रतिशत से घटाकर 2015-16 के बजट अनुमान में 3.9 प्रतिशत पर लाने की अपनी वचनबद्धता में दृढ़ बनी रही। स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 2014-15 के संशोधित अनुमान में 13.3 प्रतिशत से घटकर 2015-16 के बजट अनुमान में 12.6 प्रतिशत रह गया है। आगे चलकर यह अनुमान है कि सरकार का व्यय प्रगामी रूप से घटकर वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः 12.1 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत रह जाएगा। दूसरी ओर, केंद्र के कर राजस्व, अंतरण में परिवर्तन के चलते 2014-15 के संशोधित अनुमान में स.घ.उ. के 7.2 प्रतिशत से तीव्रता से घटकर 2015-16 के बजट अनुमान में 6.5 प्रतिशत रह जाएंगे। अगले दो वर्षों में इनके मामूली रूप से बढ़कर क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत होने की प्रत्याशा है। वृहद आर्थिक हालातों में सुधार और वृद्धि के पुनरुज्जीवन के चलते यह प्रत्याशा है कि अप्रत्यक्ष करों संबंधी जीएसटी के कार्यान्वयन सहित कर सुधार और प्रत्यक्ष करों के कर ढांचे में यौक्तिकीकरण सरकार के कुल कर राजस्व को उच्च स्तरों पर बहाल करेंगे।

15. राजकोषीय समेकन के वर्तमान दौर में कर-भिन्न राजस्व सरकार के संसाधनों के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में उभरे हैं। आर्थिक वृद्धि में नरमी के चलते कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि

ने हाल के वर्षों में राजकोषीय ईमानदारी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कर-भिन्न राजस्व पिछले वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 में 45 प्रतिशत बढ़े हैं। आम बजट 2014-15 में पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 6.8 प्रतिशत से बढ़कर स.घ.उ. के 1.7 प्रतिशत के स्तर पर पहुँचने का अनुमान था। संशोधित अनुमान 2014-15 में इनके स.घ.उ. का 1.7 प्रतिशत होने का अनुमान है जो बजट अनुमान 2014-15 की तुलना में 2.5 प्रतिशत है। आम बजट 2015-16 में कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ 2014-15 के संशोधित अनुमान की तुलना में 1.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तथापि, राजस्व के इस घटक में वृद्धि सीमित है और यह प्रत्याशा है कि अगले दो वर्ष में यह मामूली वृद्धि दर्ज करेगा। यह अनुमान है कि स.घ.उ. के अनुपात के रूप में कर-भिन्न राजस्व वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः 1.5 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत होगा।

16. राजकोषीय समेकन के लक्ष्य में एक वर्ष के विस्तार के बावजूद बजट 2015-16 में यह सरकार के संसाधनों और खर्च के बीच अंतर को प्रगामी रूप से कम करने के पथ पर चलेगा। अतः स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार की कुल देनदारियों में भी हालिया विगत की प्रवृत्ति के निरंतर चलते रहने से गिरावट दिखाई देगी। 2014-15 के अंत में, केन्द्र सरकार की कुल देनदारी स.घ.उ. के 46.8 प्रतिशत से गिरकर 2015-16 के अंत में 46.1 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। गिरावट की प्रवृत्ति जारी रहने के चलते, इसके 2016-17 में 44.7 प्रतिशत से गिरकर 2017-18 में 42.8 प्रतिशत रहने की संभावना है। सरकार के ऋण-स.घ.उ. अनुपात में प्रगामी कमी से ब्याज भार में नरमी आएगी और सरकार को, अतिरिक्त घाटे का सहारा लिए बिना, विशेषतया अवसंरचना विकास पर सरकार के खर्च करने को अधिक गुंजाइश देगी।

(ख) राजकोषीय संकेतक रेखांकित करने वाले पूर्वानुमान

1. राजस्व प्राप्तियाँ

(क) कर राजस्व

17 स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व, उच्च आर्थिक विकास और अनेक कर सुधार उपायों के चलते, 2007-08 तक अपने शीर्ष पर पहुँच गया तथा 11.9 प्रतिशत के स्तर को प्राप्त किया। 2003-08 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान औसत वार्षिक कर विकास दर 21.3 प्रतिशत थी जबकि वार्षिक कर वृद्धि 2006-07 में 28.9 प्रतिशत के स्तर पर उच्चतम थी। इन सुधारों का मुख्य कारण प्रत्यक्ष कर था जिसकी वार्षिक विकास दर इस अवधि के दौरान लगभग 28 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान स.घ.उ. के संबंध में कर उछाल लगभग 1.5 था। उच्च कर वृद्धि की इस प्रवृत्ति में वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट के चलते गिरावट आई और 2008-09 में कर स.घ.उ. अनुपात कम होकर 10.8% हो गया तथा 2009-10 में और गिरकर 9.6 प्रतिशत हो गया।

18. वैश्विक संकट-पश्च के वर्षों में, कर राजस्व में गिरावट प्रोत्साहक पैकेज के भाग के रूप में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी के कारण थी। अर्थव्यवस्था में उत्तरवर्ती गिरावट ने भी राजस्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 2012-13 के

बाद से, राजकोषीय समेकन चरण का निर्धारण अनुमानों से कम रहे करों द्वारा किया गया है। परिणामस्वरूप, राजकोषीय सुधार मोटे तौर पर व्यय प्रबंध की एक कवायद रही। स.घ.उ. के साथ कर अनुपात एक से कम की कर उछाल के साथ लगभग 10 प्रतिशत बना रहा।

19. कर वृद्धि में वास्तविक अनुमान की अत्यधिक आवश्यकता थी। बजट 2015-16 में मूल सुधार किया गया है। चालू वर्ष में वृद्धि के पुनरुद्धार के बावजूद, कर राजस्व दबावग्रस्त बने रहे। मुद्रास्फीति दबाव के सुगमीकरण ने यह सुनिश्चित किया कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक उच्चतर वृद्धि के बावजूद सांकेतिक वृद्धि स्थिर बनी रही। अतः अप्रत्यक्ष कर कम बने रहे, यद्यपि प्रत्यक्ष करों ने अनुमानित स्तरों पर वृद्धि दर्ज की थी। समग्र रूप से, ब.अ. स्तर पर 10.6 प्रतिशत के कर स.घ.उ. अनुपात के यथा विपरीत इसे 9.9 प्रतिशत दर्शाते हुए, सं.अ. 2014-15 में सकल करों को 8.3 प्रतिशत तक अधोगामी रूप से संशोधित किया गया था। तदनुसार, सं.अ. 2014-15 के मुकाबले 15.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, बजट 2015-16 में सकल कर राजस्व स.घ.उ. का 10.3 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। 2015-16 के अनुमान वास्तविक आर्थिक पुनः प्राप्ति और वर्ष 2014-15 के लिए बजट में घोषित कर उपायों को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। यह आशा भी है कि यथातथ्य कार्यान्वयन की ओर अभिमुख प्रशासनिक मशीनरी में सुधारों से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

कर उपायों का ब्यौरा

20. उपर्युक्त उपायों के साथ, ब.अ. 2015-16 में कर राजस्वों में सं.अ. 2014-15 के मुकाबले 15.8 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य है। बजट 2015-16 में कर स.घ.उ. अनुपात 10.3 प्रतिशत अनुमानित है। विकास पुनरुद्धार, कच्चे तेल आदि के लिए अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि अनुकूल होने तथा विभिन्न वृहद-आर्थिक मापदण्डों के स्थिरीकरण से वित्त वर्ष 2015-16 में राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

21. कर सुधार और कर प्रयास राजकोषीय समेकन की समग्र प्रक्रिया हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक हैं। सुदृढ़ और महत्वाकांक्षी वृद्धि के बिना, सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राजकोषीय रोडमैप को प्राप्त करना संभव नहीं है। जहां कर अनुमानों का वास्तविक होना आवश्यक है वहीं उनके महत्वाकांक्षी होने की भी जरूरत है ताकि सरकार अपेक्षित व्यय दबाव से अधिक दबाव वहन किए बिना राजकोषीय रोडमैप को हासिल कर सके। समग्र रूप से, जब तक राजकोषीय समेकन के लक्ष्यों को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर लिया जाता, स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कर बढ़ना चाहिए और व्यय स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में क्रमिक रूप से घटना चाहिए। अंतिम उद्देश्य कर स.घ.उ. अनुपात को संकट-पूर्व स्तरों तक वापस लाने का होना चाहिए। यह उद्देश्य प्रचलित वृहद-आर्थिक स्थिति के साथ समरूप्य में क्रमिक रूप से अंशशोधित होना चाहिए। चूंकि कर - स.घ.उ. अनुपात बढ़ता है, अतः वृद्धित सुधार अधिक धीमे और प्राप्त करने में कठिन होंगे। वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए कर राजस्वों का परिपेक्ष्य इस तथ्य को ध्यान में

रखते हुए तैयार किया गया है। जैसाकि उपर्युक्त सारणी में दर्शाया गया है, कर - स.घ.उ. अनुपात 2016-17 में 10.5 प्रतिशत और 2017-18 में 10.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। यह अगले तीन वर्षों में 1.25 के औसत उछाल को सूचित करता है जो वास्तविक लक्ष्य है। इसके लिए इस अवधि के दौरान 15.0 प्रतिशत की औसत कर वृद्धि की आवश्यकता होगी जो बेहतर कर प्रयास के संयोजन के जरिए संभव होगी। यह संदर्भनीय है कि पूर्व दशक में अधिक उच्चतर कर वृद्धि हासिल की गई है।

(ख) राज्यों को अंतरण

22. जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है, वित्त वर्ष 2015-16 14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि का पहला वर्ष है। 14वें वित्त आयोग ने राजकोषीय संबंधों को पुनः परिभाषित करते हुए, केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन में मुख्य उछाल का अधिदेश दिया है। फिर भी, यह प्रतिमान परिवर्तन सहकारी संघवाद की ओर सरकार के प्रयासों के समरूप्य है। 42 प्रतिशत के वितरण से यह आशा है कि राज्यों का हिस्सा वित्त वर्ष 2014-15 में ₹3.38 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2015-16 में ₹5.24 लाख हो जाएगा जो एक मात्रात्मक उछाल है। अच्छी बात यह है कि स.घ.उ. के अनुपात में केंद्र का कर राजस्व सं.अ. 2014-15 में 7.2 प्रतिशत से गिरकर ब.अ. 2015-16 में 6.5 प्रतिशत हो जाएगा। यह मामूली रूप से बढ़कर वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः 6.7 प्रतिशत तथा 6.8 प्रतिशत हो जाएगा।

(ग) कर-भिन्न राजस्व

23. केंद्र के कर-भिन्न राजस्व मुख्य रूप से सरकार की ब्याज और लाभांश प्राप्ति, विभिन्न अभिकरणों को केंद्रीय पुलिस बल की आपूर्ति, पासपोर्ट और वीजा जारी करने, कंपनियों, पेटेंट्स के पंजीकरण और अपतटीय तेल क्षेत्रों, लाभ पेट्रोलियम से लाइसेंस शुल्कों, स्वामिस्व जैसी केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्राप्ति तथा दूरभाष क्षेत्र से विभिन्न प्राप्ति से मिलकर बनते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में ₹1,98,870 करोड़ जुटाए गए, जिसमें गत वर्ष के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद के 1.8 प्रतिशत पर 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आम बजट 2014-15 में, कर-भिन्न राजस्व ₹2,12,505 करोड़ अनुमानित रहा, जिसमें 2013-14 के वास्तविक आंकड़ों के मुकाबले 6.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2014-15 के सं.अ. में, स.घ.उ. के 1.7 प्रतिशत पर ₹2,17,832 करोड़ की संशोधित वृद्धि की गई, जबकि 2014-15 के बजट अनुमान के मुकाबले इसमें 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। गत वर्ष में, राजस्व घटक ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है और यह सांकेतिक अर्थों में तथापि, वर्द्धित आधार पर, राजस्व के इस मद में वृद्धि होने की थोड़ी ही गुंजाइश है। 2015-16 के बजट अनुमान में, कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति में सकल घरेलू उत्पाद 1.6 प्रतिशत अनुमानित है, जोकि 2014-15 के संशोधित अनुमान में 1.8 प्रतिशत वृद्धि इंगित करता है।

24. सरकार की ब्याज प्राप्ति, जिसमें मुख्यतया रेलवे, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली ऋण हैं, राज्यों के ब्याज प्राप्ति में समग्र गिरावट आएगी जैसा कि 12वें वित्त आयोग ने सिफारिशों के अनुसार मध्यस्थहीनता के पश्चात् राज्यों के निवल ऋण में काफी गिरावट आई है। केंद्र के लाभांश प्राप्ति को दो भागों में बांटा जा सकता है: पहला आरबीआई और दूसरा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभांश में तब बढ़ोतरी होगी जब उनके लाभ में वृद्धि होगी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी जोखिम के विनिवेश के चलते कमी हो सकती है। इसके विपरीत, चूंकि सरकार बेसेल III के सीआरएआर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंकों में इक्विटी लगा सकेगी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी जोखिम लाभ में वृद्धि के प्रभाव और सरकारी जोखिम में बढ़ोतरी दोनों के चलते बैंकों के लाभांश में अपेक्षाकृत तेज वृद्धि होगी। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत टेलीकाम प्राप्ति, अन्य महत्वपूर्ण घटक रहे हैं। इस सहस्राब्दि के आते ही जनसंचार क्षेत्र में विकास होने के साथ यह उल्लेखनीय घटक बन गया है। कुछेक नीलामियों में मुकद्दमेबाजी के चलते, संभावित राजस्व उपलब्ध नहीं हुआ किंतु आशा है कि मध्यावधिक ढांचे में राजस्व का प्रमुख स्रोत बना रहेगा।

25. उपर्युक्त अधिकतर अनुमानों को अपनाते हुए, 2016-17 और 2017-18 के कर-भिन्न राजस्वों के लिए संभावनाओं को लागू कर दिया गया है। पहले बजटीय कतिपय एकबारगी प्राप्ति संसाधनों को खोल देने के कारण 2016-17 और 2017-18 में उपलब्ध नहीं होंगे। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभांशों के संदर्भ में, सरकार की यह नीति उनकी पूंजी परियोजनाओं में उनके पास रखे अर्जनों को निवेश करने में उन्हें समर्थ बनाना होगा। तथापि, किसी सुदृढ़ पूंजी निवेश योजना के नहीं होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके नकदी अधिशेषों को अदा करने होंगे जैसा कि सरकार और अन्य शेयर धारकों के लाभांश में है। टेलीकाम सेक्टर से, इसमें यह अनुमान लगाया गया है कि पूर्व में 20 वर्ष के लिए जारी लाइसेंसों के नवीकरण को अनुमान अवधि के दौरान नवीकरण हेतु लिया जाएगा। निकट भविष्य में तय स्पेक्ट्रम नीलामियों की आवश्यकता आबंटन की शर्त पर नियमित आधार पर उच्च राजस्व में अंतरण किया जाएगा। यह सरकार की आय में स्थिरता कायम करेगी। अनुमानों पर आधारित, 2016-17 और 2017-18 के लिए कर-भिन्न राजस्व क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत पर रहा है।

2. पूंजी प्राप्ति

(क) ऋणों और अग्रिमों की वसूली

26. 12वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा धीरे-धीरे मध्यस्थता हटाने और ऋण समेकन और ऋण माफी स्कीम के चलते राज्यों के ऋणों की निवल वसूली में गिरावट आयी है। राज्य सरकारों को, चूंकि विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर और कोई ऋण नहीं दिया गया है, जिन्हें एक के बाद एक के आधार पर अंतरित किया गया है, जैसे ही पुराने ऋण

चलन में आते हैं, इस प्राप्ति में गिरावट आएगी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ऋणों में अदायगी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की चूकों के चलते, जोकि या तो रुग्ण हैं अथवा बीआईएफआर के जरिए पुनर्रुद्धार पर हैं, पर भी प्रभाव पड़ेगा। रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ब्याज माफी या ऋणों को बट्टे खाते में डालने से संभावित भावी प्राप्तियां कम हो गई हैं। 2014-15 के बजट अनुमान में ऋणों और अग्रिमों की वसूली ₹ 10,527 करोड़ अनुमानित थी। तथापि, 2014-15 में इसे ₹10,886 करोड़ संशोधित किया गया था। 2015-16 के बजट अनुमान में यह ₹10,753 करोड़ अनुमानित है। 2016-17 और 2017-18 हेतु, प्राप्ति के इस घटक में ₹10,500 करोड़ रहने का अनुमान है क्योंकि सरकार निवल ऋण को प्रोत्साहित नहीं करेगी (राज्यों को विदेशी ऋण के लिए की गई एक के बाद एक व्यवस्था को छोड़कर)।

(ख) अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

27. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तिओं का मुख्य स्रोत है। 2013-14 के वित्त वर्ष से, सरकार ने पृथक निधि, लोक खाता के तहत एनआईएफ का सृजन करने का निर्णय लिया है, इस उद्देश्य के साथ कि विनिवेश की प्राप्तिओं को केवल विशिष्ट प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए कार्य में लगाया जाएगा। इस बड़े कदम के साथ नियमित सरकारी व्यय की निधि के लिए प्राप्तियां उपलब्ध नहीं होगी। वित्त वर्ष 2013-14 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, विनिवेश आय की प्राप्तियां ₹29,368 करोड़ बैठती है।

28. सं.अ. 2014-15 में, विनिवेश प्राप्तियां ₹ 31,350 करोड़ हो गई है जिसमें आरबीआई को दी जाने वाली एसडीआर की बिक्री के ₹ 5,000 करोड़ शामिल है। 2015-16 के आम बजट हेतु, विनिवेश से प्राप्तियां ₹ 41,000 करोड़ अनुमानित है। तथापि, 14वें वित्त आयोग के अनुसरण में राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन संग्रहण के रूप में ₹ 28,500 करोड़ स्ट्रेटेजिक विनिवेश से प्रवाहित होने अनुमानित हैं। इसमें गैर सरकारी वाणिज्यिक निकायों में सरकारी धारिता सूटी, बालको, एचजेडएल आदि की बिक्री शामिल है। मध्यावधिक ढांचे में, वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमशः ₹ 55,000 करोड़ और ₹ 50,000 करोड़ की राशि का अनुमान लगाया है।

(ग) उधार, सरकारी ऋण और अन्य देनदारियां

29. समग्र केन्द्रीय सरकार की देनदारियों (अन्तर सरकारी उधारों को घटाकर) में से मार्च अन्त 2014 की स्थिति के अनुसार लगभग 92.7 प्रतिशत घरेलू और केवल 8.3 प्रतिशत विदेशी देनदारी है। यह देखा जा सकता है कि भारतीय संदर्भ में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण मन्दी से भारत के लिए रक्षोपाय के सरकार के प्रयासों की वजह से 2008-2013 के दौरान भारत का सकल राजकोषीय

घाटा अधिक रहने के बावजूद ऐसे समय में जब वैश्विक रूप से सरकारी ऋण की स्थिति बदतर होती जा रही थी, सामान्य रूप से भारत के ऋण की स्थिति स्थिर (या बेहतर) है। सं.अ. 2014-15 में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निवल बाजार उधार सकल राजकोषीय घाटे का 87.2 प्रतिशत वित्तपोषण करने के लिए ₹4,46,922 करोड़ (वापसी खरीद के ₹6,283 करोड़ घटाने के बाद) अनुमानित है। सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के अन्य स्रोत जैसाकि अल्पावधिक खजाना बिल, अल्प बजट संग्रहण, राज्य भविष्य निधियां, निवल विदेशी सहायता और नकद आहरण की बजट व्यवस्था सकल राजकोषीय घाटे के बाकी 12.8 प्रतिशत के वित्तपोषण हेतु की गई थी। विदेशी सहायता से, बजट व्यवस्था की गई ₹9,705 करोड़ से अधिक राशि जुटाई गई। आरंभ में अनुमानित से अधिक संवितरण किए जाने के कारण अन्य ऋणों से नकारात्मक बहिर्वाह हुआ। इसी प्रकार राज्य भविष्य निधि से उगाही कम कर दी गई। गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी टी-बिलों में राज्य सरकारों द्वारा अधिक निवेश करने के कारण खजाना बिल की उगाही भी बढ़ गई। यह मुख्यतया राज्य सरकारों की सुखद नकदी स्थिति और मध्यस्थ बिलों की तुलना में टी-बिल की नीलामी में उच्च ब्याज दरों के कारण था। बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2014-15 के लिए बाजार उधार ₹14,283 करोड़ से घटकर ₹4,46,922 (2015-16 में परिपक्व होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनः खरीद से समायोजित) करोड़ पर आ गया। वर्ष के लिए उधार कार्यक्रम मुख्यतया उधार लेने के लिए पूर्व घोषित कैलेण्डर की तर्ज पर सुचारु रूप से किया गया। केन्द्रीय सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात् मार्च 2014 में घोषित वित्त वर्ष 2014-15 के पूर्वार्ध के लिए नीलामी कैलेण्डर से 14 अगस्त, 2014 से 30 सितंबर, 2014 के दौरान उधार लेने के लिए नीलामी ₹16,000 करोड़ कम कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता पिछले वर्ष के 14.28 वर्षों से बढ़ाकर 14.66 वर्ष कर दिया गया, यह सरकार द्वारा अपने ऋण के परिपक्वता लाभ को बढ़ाने हेतु लगातार प्रयास किए जाने को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2014-15 में निर्गम का भारांशित औसत लाभ पिछले वर्ष के 8.48 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 8.51 प्रतिशत हो गया है।

30. ऊपर उल्लिखित संशोधित योजना के अंतर्गत राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के उपायों के प्रति सरकार की वचनबद्धता की तर्ज पर 2015-16 के लिए राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 3.9 प्रतिशत कम होने की बजट व्यवस्था की गई है। तदनुसार, 2015-16 के लिए उधार लेने की कुल आवश्यकता की ₹ 5,55,649 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है। तथापि, सांकेतिक अर्थ में ₹ 4,56,405 करोड़ का उधार प्रक्षेपण पिछले वर्ष की तुलना में 2.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्शाता है। स.घ.उ. के अर्थ में निवल बाजार उधार वित्त वर्ष 2014-15 में 3.5 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 3.2 प्रतिशत पर आने की बजट व्यवस्था की गई है। विदेशी ऋण के माध्यम से

उधार 2015-16 के दौरान ₹ 11,173 करोड़ होने की बजट व्यवस्था है, जो सं.अ. 2014-15 की तुलना में 15.1 प्रतिशत अधिक है। सामान्य अर्थों में, अपेक्षाकृत निम्न आधार पर यह बढ़ोतरी काफी नहीं है। वित्त वर्ष 2015-16 में, केन्द्रीय सरकार के निवल ऋण में विदेशी ऋण का हिस्सा वित्त वर्ष 2014-15 में 8.3 प्रतिशत से घटकर 7.6 प्रतिशत रह गया है।

31. वाणिज्यिक बैंक प्रमुख निवेशक श्रेणी में हैं, जिनके पास वर्तमान में लगभग 45.7 प्रतिशत बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की धारिता है (सितंबर अंत 2014 में)। 2014-15 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियां वर्षानुवर्ष 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं (23 जनवरी, 2015 की स्थिति अनुसार), जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में देखी गई 15.3 प्रतिशत वृद्धि से कम है। सरकारी प्रतिभूतियों में बीमा कंपनियां एक दूसरी प्रमुख निवेशक श्रेणी में आती हैं, जिनके लिए पारंपरिक रूप से लम्बी अवधि की प्रतिभूतियों की मांग रही है। सितंबर अंत 2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में बीमा कंपनियों की धारिता का हिस्सा पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 19.5 प्रतिशत से बढ़कर 20.6 प्रतिशत हो गया है। भविष्य निधियां सरकारी प्रतिभूतियों के लिए मांग के दूसरे स्थिर स्रोत हैं, जिनका हिस्सा लगभग 7.2 प्रतिशत पर स्थिर है। सरकार के निवल बाजार उधारों में बजट व्यवस्था की गई वृद्धि की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों में काफी अधिक वृद्धि का निहितार्थ है कि 2015-16 के लिए सरकारी उधार कार्यक्रम, निजी क्षेत्र के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर किसी प्रकार का दबाव डाले बिना सरलता से पूरा होगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी प्रतिभूतियों में बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी और धारिता में भविष्य निधियों के हिस्से में स्थिरता, लागत बढ़ाए वगैर सरकारी ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल को और अधिक बढ़ाने की संभावना प्रदान करते हैं।

32. स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सरकार की कुल देनदारियों में भी हालिया विगत में रुझान को देखते हुए गिरावट जारी रहेगी। 2014-15 के अंत में केन्द्र सरकार की कुल निवल देनदारी स.घ.उ. का 46.8 प्रतिशत अनुमानित है, जो 2015-16 के अंत तक घटकर 46.1 प्रतिशत हो जाएगा। राजकोषीय सुदृढीकरण हासिल करने की शुरुआत और घाटे के नियंत्रित होने से गिरावट की प्रवृत्ति जारी रहेगी। इसके, 2016-17 में घटकर 44.7 प्रतिशत और 2017-18 में 42.8 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। सरकार के ऋण-स.घ.उ. अनुपात में प्रगामी गिरावट से ब्याज का भार हल्का होगा और सरकार के लिए अतिरिक्त उधारों का सहारा लिए बगैर अन्य/विकासात्मक व्यय पर खर्च करने की अधिक संभावना बढ़ेगी। 2015-16 में सकल राजकोषीय घाटे के प्रगामी रूप से गिरकर स.घ.उ. के 3.9 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। एमटीएफपी विवरण में 2016-17 में जीएफडी में और अधिक 3.5 प्रतिशत की गिरावट और 2017-18 में 3.0 प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान लगाया गया है। बाजार उधार वित्तपोषण जीएफडी का

लगभग 86.5 प्रतिशत मान लेने पर निवल बाजार उधार के आगामी तीन वर्षों में काफी हद तक गिरकर 2015-16 में 3.2 प्रतिशत, 2016-17 में 3.1 प्रतिशत और 2017-18 में 2.6 प्रतिशत पर आने की संभावना है। सरकारी घाटे में कमी आने से निजी निवेश और पूंजी अंतर्वाह की अधिक संभावना होगी। इससे स्फीतिकारी दबाव भी कम होगा और मौद्रिक नीति सरल बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थिति अनुकूल बनेगी।

3. कुल व्यय

(I) राजस्व लेखा

(i) आयोजना राजस्व व्यय

33. विगत अनेक वर्षों में आयोजना का आकार महत्वाकांक्षी होने के बावजूद प्रेरणादायक था। यह ध्यान देने योग्य है कि 2012-13 से शुरू होने वाली 12वीं आयोजना अवधि के दौरान बजट अनुमान बाद के वर्षों में उपलब्धियों से अधिक थे। वास्तव में, ऐसे महत्वाकांक्षी आयोजना का वित्त पोषण करने के लिए उच्च राजस्व वृद्धि को लक्ष्य बनाया जाना था, बाद में इसमें संशोधन करके कम स्तर पर लाया जाना था। अतः यह कार्य आदर्शवाद बन गया, क्रियान्वयन क्षमता से इसका नाता टूट गया। योजना आयोग से नीति आयोग के रूप में संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन लाने से आयोजना के प्रति दृष्टिकोण में सुधार लाने के प्रयास किए गए। टॉप-डाउन, वन साइज फिट आल एप्रोच को सहकारी संघवाद के पक्ष में छोड़ दिया गया, जो राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर विकास एजेन्डा बनाने और क्रियान्वित करने में अधिकाधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अधिक अंतरण से, वित्त आयोग ने इस नए प्रतिमान के लिए आयोजना निर्धारित की है। इस प्रकार से जिसे सरकार ने पहले ही सम्पूर्ण रूप से क्रियान्वित करना आरंभ किया था, उसे वित्त आयोग ने लिखित रूप में प्रस्तावित किया है।

34. वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय सुदृढीकरण के लिए सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप कुल आयोजना व्यय को स.घ.उ. के 4.0 प्रतिशत पर नियंत्रित किया गया, जो सं.अ. 2013-14 से कम है। 2014-15 के लिए आयोजना व्यय की ₹5,75,000 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई थी। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदर्शन की तुलना में 26.9 प्रतिशत वृद्धि होनी है। सं.अ. 2014-15 में आयोजना व्यय में संशोधन करके ₹ 4,67,934 करोड़ किया गया, जो ब.अ. 2014-15 की तुलना में 18.6 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। कुछ मामलों में स्कीम में संशोधन करने के पश्चात् कम राजस्व और उपयोग की धीमी गति के कारण संशोधन करके कम किये जाने की आवश्यकता पड़ी।

35. अधिक अंतरण से वित्त आयोग और राज्यों ने भी स्कीमों की अभिकल्पना और क्रियान्वयन में अधिकाधिक लोचशीलता लाने की मांग की। अपने पास अधिक संसाधनों के रहने से, राज्य

विकास कार्यक्रमों की जिम्मेदारी में भागीदारी करने की स्थिति में होंगे। नए प्रतिमान के अधीन आयोजना पर खर्च किए जाने में परिवर्तन होगा। तथापि, यह परिवर्तन का मुद्दा है, इस क्षेत्र में किसी प्रकार की अड़चनों से बचने के लिए इसका प्रबंधन सुचारु रूप से करने की आवश्यकता है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ₹4,65,277 करोड़ आयोजना व्यय की बजट व्यवस्था है, जो स.घ.उ. का 3.3 प्रतिशत और सं.अ. 2014-15 से 0.6 प्रतिशत कम है। अधिक अंतरण को देखते हुए केन्द्र का संसाधन आधार कम हो गया है। तथापि, सामाजिक और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च को पूरा करने और पारगमन चरण के दौरान चालू स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की योजना बनाई गई है ताकि विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। इससे आगे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और सीमित राजस्व हिस्से से, यह अनुमान है कि स.घ.उ. के अनुपात के रूप में केन्द्र का कुल व्यय बजट कम होगा और आयोजना-भिन्न एवं आयोजना का आकार भी छोटा होगा। तदनुसार यह अनुमान है कि आयोजना व्यय के लिए संसाधन वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2016-17 में क्रमशः स.घ.उ. का 2.9 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत होगा।

36. यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यों को अधिक अंतरण के लिए सिफारिश करते समय विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के जरिए राज्यों को केन्द्रीय निधि के अंतरण को ध्यान में रखा गया है और इस मद को सामान्य अंतरण मान लिया गया है। इस प्रकार से राज्यों के साथ संसाधनों की अधिकाधिक हिस्सेदारी से यह माना जाता है कि केन्द्र कल्याणकारी कार्यक्रम बंद कर सकती है। तथापि, बजट 2015-16 में जरूरतमंद और असुरक्षितों के लिए केन्द्रीय आवंटन जारी रखा गया है, क्योंकि इन कार्यक्रमों को अचनक बंद करने से कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। जरूरतमंदों और गरीबों को सहायता प्रदान करने वाली स्कीमों को राष्ट्रीय स्तर पर जारी रखने की आवश्यकता है ताकि एकरूपता और निरन्तरता बनी रहे। तदनुसार, आयोजना के अंतर्गत विभिन्न संघटकों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसाकि व्यय बजट खण्ड-1 के विवरण 16 और 16क में दर्शाया गया है। महत्वपूर्ण रूप से 30 से भी अधिक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, जिन्हें अभिचिन्हांकित किया गया है, और उन्हें राज्यों को अंतरित किया गया होता, क्योंकि उनपर होने वाले व्यय को राज्यों को 42 प्रतिशत अधिक अंतरण के निष्कर्ष तक पहुंचने में राज्य व्यय के रूप में हिसाब में लिया गया है। तथापि, यह ध्यान में रखते हुए कि इनमें से बहुत सी स्कीमों राष्ट्रीय प्राथमिकता की हैं, और कुछ तो कानूनी बाध्यताएं हैं (जैसाकि मनरेगा) और केन्द्रीय प्राथमिकताओं के लिए केन्द्र सरकार की निरन्तर सहायता को रेखांकित करने के लिए, विशेषकर गरीबों के लिए लक्षित स्कीमों के संबंध में, इनमें से अधिकांश को जारी रखने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव है कि केवल 8 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को केन्द्र से सहायता देना बंद किया जाए।

37. केन्द्र सरकार के कतिपय कार्यक्रम को अपरिवर्तित जारी रखा जाएगा क्योंकि वे या तो कानूनी/संवैधानिक बाध्यताएं हैं या चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए अपने चुनाव क्षेत्र के कल्याण हेतु उपलब्ध विशेष अधिकार के रूप में हैं। इसके अतिरिक्त, और इससे बढ़कर यह प्रस्ताव है कि केन्द्र सरकार कतिपय कार्यक्रमों को सहायता देती रहेगी जो सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए हैं, ये अपरिवर्तित रूप से स्वयं के संसाधनों से जारी रखे जाएंगे। अन्य विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के संबंध में हिस्सेदारी के पैटर्न में परिवर्तन किया जाएगा, स्कीमों के क्रियान्वयन के अर्थ में राज्यों का राजकोषीय उत्तरदायित्व का अधिक हिस्सा होगा। हिस्सेदारी के पैटर्न में परिवर्तनों का ब्यौरा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा केन्द्रीय वित्तसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परिकलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बजट 2015-16 में विशेष सहायता के रूप में उपाय करने हेतु नीति के लिए ₹20,000 करोड़ का अतिरिक्त आबंटन प्रदान किया गया है। यह राशि राज्यों में प्रमुख उपाय किए जाने के लिए प्रदान की गई है।

(ii) आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

38. सरकार का आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय मुख्यतया इसके स्थापना व्यय, ब्याज अदायगियों, रक्षा व्यय, सब्सिडियों, राज्यों को वैधानिक अनुदानों और अन्य अवशिष्ट मदों से बना होता है। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय मुख्यतया छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण 2007-08 में स.घ.उ. के 8.4 प्रतिशत से उछल कर 2009-10 में स.घ.उ. का 10.2 प्रतिशत हो गया। तब से यह सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न व्यय सुधार उपायों के कारण 2014-15 के बजट अनुमान में गिरकर 8.7 प्रतिशत पर आ गया। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय संशोधित अनुमान 2014-15 में मामूली रूप से अधोगामी संशोधित करके ₹12,13,224 करोड़ रखा गया है जो स.घ.उ. का 9.3 प्रतिशत है और बजट अनुमान 2014-15 की तुलना में 0.5 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। आयोजना-भिन्न व्यय बजट अनुमान 2014-15 की तुलना में 7.6 प्रतिशत और संशोधित अनुमान 2014-15 की तुलना में 8.2 प्रतिशत वृद्धि के चलते ₹13,12,200 करोड़ अनुमानित है। अनुमान की इस अवधि के दौरान इसके वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में स.घ.उ. का क्रमशः 9.2 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के विभिन्न घटकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(क) ब्याज अदायगियां

39. सरकार द्वारा किए गए वित्तीय विस्तार के कारण वैश्विक आर्थिक संकट के बाद ब्याज अदायगियां तेजी से बढ़ी हैं। केन्द्र के निवल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां 2007-08 में 38.9 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 43.4 प्रतिशत तथा 2009-10 में और बढ़कर 46.7 प्रतिशत हो गई हैं। बजट अनुमान 2014-15 में इस घटक के अंतर्गत व्यय केन्द्र के निवल कर के

43.7 प्रतिशत पर अनुमानित था जिसे संशोधित अनुमान में संशोधित कर 45.3 प्रतिशत किया गया है। संशोधित अनुमान में यह वृद्धि अनिवार्यतः निम्न कर संग्रहण के कारण हुई है। हाल की अवधि के दौरान जिन कारकों ने ब्याज अदायगियों को प्रभावित किया है वे 2011-12 के दौरान वित्तीय विपथन के साथ प्रोत्साहन पैकेज और कुछ समय से अब विद्यमान तुलनात्मक रूप से कठोर ब्याज दर व्यवस्था के कारण वृद्धि ऋण स्टाक हैं।

40. बजट अनुमान 2015-16 में ब्याज अदायगी निवल कर राजस्व के 49.6 प्रतिशत पर अनुमानित है जो चालू राजकोषीय समेकन के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह वृद्धि एक बार फिर 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित उच्च अंतरण के अनुकरण में केंद्र के सिकुड़ते राजस्व आधार के कारण है। वास्तव में, सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में केंद्र की ब्याज अदायगियां संशोधित अनुमान 2014-15 में 32.9 प्रतिशत से गिरकर बजट अनुमान 2015-16 में 31.4 प्रतिशत की दीर्घकालिक प्रवृत्ति दर्शाती हैं। राजकोषीय घाटा नीचे आने और स्फीतिकारी दबाव कम होने के चलते यह संभावना है कि आने वाले वर्षों में ब्याज दरें गिरेंगी। घाटे में कमी और ब्याज दरों में गिरावट निजी क्षेत्र को निम्न लागत पर संसाधन जुटाने हेतु सकारात्मक गुंजाइश उत्पन्न करेगी। मध्यावधि में राजकोषीय सुधारों के मजबूत होने के चलते यह संभावना है कि केंद्र के निवल कर राजस्व के प्रति ब्याज भुगतान का अनुपात वित्त वर्ष 2016-17 में 47.5 प्रतिशत से गिरकर वित्त वर्ष 2017-18 में 45.1 प्रतिशत रह जाएगा।

(ख) रक्षा सेवाएं

41. राजस्व खाते में रक्षा व्यय में मुख्यतः रक्षा बलों का वेतन व्यय और उनके प्रचालनात्मक व्यय होते हैं। रक्षा राजस्व व्यय बजट अनुमान 2014-15 में ₹ 1.34 लाख करोड़ अनुमानित है। संशोधित अनुमान 2014-15 में इसे मामूली रूप से उर्ध्वगामी संशोधित कर ₹ 1,40,405 करोड़ किया गया है। वित्त वर्ष 2015-16 में रक्षा राजस्व व्यय अर्थात् बजट अनुमान 2014-15 और संशोधित अनुमान 2014-15 में क्रमशः 13.2 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत वृद्धि से ₹ 1,52,139 करोड़ अनुमानित है। अनुमान की इस अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में इसके औसतन 15 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। सातवें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव को समायोजित करते हुए वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में अतिरिक्त प्रावधान भी माना गया है। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल रक्षा व्यय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः 1.8 प्रतिशत पर बने रहने का अनुमान है।

(ग) पेंशन

42. केन्द्रीय सरकार के पेंशन भुगतान संबंधी व्यय में रक्षा तथा सिविल पेंशन दोनों शामिल हैं। सांकेतिक अर्थों में पेंशन भुगतान

सं.अ. 2013-14 में ₹ 74,896 करोड़ अनुमानित था और वर्ष के अंत में यह ₹ 74,938 करोड़ परिकलित किया गया। ब.अ. 2014-15 में, सांकेतिक अर्थों में पेंशन भुगतान ₹ 81,983 करोड़ अनुमानित था। सं.अ. 2014-15 में इसमें संशोधन करके ₹ 81,705 करोड़ किया गया है। पिछले कुछ वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार का पेंशन भुगतान वेतन व्यय की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिक संख्या में सेवानिवृत्ति और वृद्धित आयु संभाविता के कारण पेंशनभोगियों की संख्या बढ़ी है। VIIवें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव को देखते हुए सरकार का पेंशन भुगतान क्रमशः वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2017-18 में स.घ.उ. का लगभग 0.7 प्रतिशत हो सकता है।

(घ) राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान

43. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान में मुख्यतया वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान शामिल है। ब.अ. 2014-15 में, आयोजना-भिन्न अनुदान ₹ 69,084 करोड़ अनुमानित था। सं.अ. 2014-15 में राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान में संशोधन करके ₹ 79,166 करोड़ रखा गया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को देखते हुए ब.अ. 2015-16 के लिए राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान ₹ 1,07,559 करोड़ अनुमानित है। सामान्यतः वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अधिकांश अनुदानों की सिफारिश पंचाट के दूसरे वर्ष से प्रभावित होने के लिए की गई है ताकि राज्य सरकारों के लिए सुविधाजनक तैयारी की अवधि सुश्चित की जा सके। इन परिकल्पनाओं के आधार पर आयोजना-भिन्न अनुदान 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः स.घ.उ. का 0.6 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत अनुमानित है।

(ङ) प्रमुख सब्सिडियां

44. 2013-14 के अंतिम लेखाओं के अनुसार प्रमुख सब्सिडियों संबंधी व्यय ₹ 2,44,717 करोड़ बैठता था। इसमें खाद्य, पेट्रोलियम और उर्वरक की क्रमशः ₹ 92,000 करोड़, ₹ 85,378 करोड़ और ₹ 67,339 करोड़ की राशि शामिल रही है। ब.अ. 2014-15 में, बजट में प्रमुख सब्सिडियां ₹ 2,51,397 करोड़ रखी गई थीं जिन्हें सं.अ. 2014-15 में संशोधित करके ₹ 2,54,913 करोड़ कर दिया गया था। 2015-16 के बजट में प्रमुख सब्सिडियां ब.अ. 2014-15 में 2.0 प्रतिशत की तुलना में स.घ.उ. का 1.6 प्रतिशत रखी गयी हैं। संभावित अवधि की तुलना में, प्रमुख सब्सिडियां कम होकर स.घ.उ. का 1.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राजकोषीय समेकन के राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सरकार लाभार्थी के उन्नत लक्ष्य के जरिए सब्सिडी संबंधी व्यय को क्रमिक रूप से कम करने की नीति का अनुसरण करे।

45. राजकोषीय समेकन की दृष्टि से प्रमुख सब्सिडियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और सरकार द्वारा अपने राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने में इसकी सफलता के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक

हैं। सरकार का यह प्रयास होगा कि एक द्विआयामी रणनीति के साथ इस समस्या का समाधान करे। सरकार क्रमिक रूप से सब्सिडी संबंधी सुधारों पर इस तरीके से अमल करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे अवसंरचना में निवेश संबंधी वित्तीय संसाधनों का बचाव करते हुए और सरकार द्वारा घोषित नए विकास कार्यक्रमों का अनुसरण करते समय भी सब्सिडियों को गरीबों और जरूरतमंदों तक सक्षम रूप से लक्ष्यबद्ध करना सुनिश्चित किया जा सके। यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि इस समय पेट्रोलियम और डीजल दोनों ही पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त हैं। सरकार ने 1 जनवरी, 2015 से एलपीजी के लिए एक नई सार्वभौमिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम आरम्भ की है। इस स्कीम में आधार कार्ड धारक और आधार कार्ड न रखने वाले दोनों ही शामिल होंगे। नकद-अंतरण अनुपालक ग्राहकों के बैंक खातों में सब्सिडी सीधे ही इस तरीके से अंतरित की जाएगी जिससे दोहराव से बचा जा सकेगा और लीकेज की रोकथाम होगी।

46. उर्वरकों के संबंध में, फॉसफोरस और पोटेशियम के क्षेत्र में पुष्टिकारक आधारित सब्सिडी की प्रणाली भली भांति कार्य कर रही है। वर्तमान में जिस बात की तुरंत आवश्यकता है वह यूरिया, नई पुष्टिकारक आधारित यूरिया नीति के लिए फौरी मूल्य सुधार के साथ यूरिया क्षेत्र में कतिपय मूल्य निर्धारण सुधार लागू करना है। यह न केवल सब्सिडी बिल के आकार के मद्देनजर अपितु फॉसफोरस नाइट्रोजन और पोटेशियम संबंधी पोषक तत्वों के संतुलित प्रयोग की दृष्टि से भी आवश्यक है। सरकार ने स्वदेशी क्षमताओं में वृद्धि करने और आयात पर निर्भरता को कम करने का पथ प्रशस्त करते हुए यूरिया क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2 जनवरी, 2012 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 अधिसूचित की थी। इस नीति से आईपीपी से कम मूल्यों पर आयात विकल्प के कारण सब्सिडी में बचत का रास्ता खुलेगा। काफी समय से उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इससे आयातों पर निर्भरता में कमी लाने और कीमतों को और अधिक स्थिर रखने में मदद मिलेगी।

47. सरकार ने पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण के लिए एक समर्पित स्कीम भी आरम्भ की है। 11 राज्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संरचना से पहले ही जुड़ गए हैं और जैसे-जैसे अपेक्षित प्रणालियां बदली जाएंगी अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। साथ ही पूरे देश में आधार के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया है। विकेन्द्रीयकृत खाद्यान्न प्राप्ति और वितरण, पूरी तरह से कम्प्यूटरीकरण, सार्वभौमिक आधार कवरेज सहित संयुक्त, भारतीय खाद्य निगम की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाना कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगली पीढ़ी के खाद्य सब्सिडी सुधारों की अवस्था का निर्धारण करेंगे। सरकार इस वित्त वर्ष के दौरान इसका सक्रिय रूप से अनुसरण कर रही है। जैसाकि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है,

सब्सिडी सुधारों पर ध्यान केन्द्रित किए बिना राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया कठिन होगी। प्रमुख सब्सिडियों पर सरकार का व्यय 2013-14 में सघट का 2.2 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में सघट के 2.0 प्रतिशत रहने की संभावना है। आशा है कि सक्रिय नीतिगत सुधारों से इस घटना में उतरोत्तर कमी आएगी। संभावित अवधि के दौरान 2016-17 और 2017-18 में इसे 1.6 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव किया गया है।

(II) पूंजीगत परिव्यय

48. 2013-14 के लिए वास्तविक लेखा के अनुसार, सरकार का कुल पूंजीगत व्यय ₹ 1,87,675 करोड़ था और ब.अ. 2014-15 में यह ₹ 2,26,781 करोड़ अनुमानित था। तथापि, सं.अ. 2014-15 में, इसे संशोधित करके ₹ 1,92,378 करोड़ कर दिया गया है। ब.अ. 2015-16 में, सरकार का कुल पूंजीगत व्यय ₹ 2,41,431 करोड़ अनुमानित है जो ब.अ. 2014-15 की तुलना में 6.5 प्रतिशत अधिक और सं.अ. 2014-15 की तुलना में 25.5 प्रतिशत अधिक है। आयोजना भिन्न के संबंध में, पूंजीगत व्यय के प्रमुख भाग में रक्षा पूंजी व्यय शामिल है। ब.अ. 2014-15 में, रक्षा पूंजी व्यय ₹ 94,588 करोड़ अनुमानित था। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए, इसे ₹ 94,588 करोड़ पर स्थिर रखा गया है अर्थात् सं.अ. 2014-15 की तुलना में इसमें 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्धित आधार पर, वित्त वर्ष 2016-17 में इसके मामूली वृद्धि के साथ 15.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए, 9.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, यह समग्र संसाधन उपलब्धता तथा केन्द्र के संसाधनों की अन्य मांगों के अनुरूप है।

49. भारत सरकार के आयोजना व्यय में मुख्यतया सकल रेल व्यय में समग्र बजटीय सहायता, सरकारी कंपनियों और बैंकों में राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश और राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण शामिल हैं। चूंकि समग्र प्रयास सरकार के राजस्व घाटे में कमी लाने पर केन्द्रित रहा है, अतः, यह आवश्यक है कि समग्र आयोजना व्यय के भीतर, राजस्व घटक की अपेक्षा पूंजीगत घटक संबंधी व्यय में अपेक्षाकृत अधिक तेज गति से वृद्धि हो। 2015-16 में बजट में आयोजना पूंजीगत व्यय, कुल आयोजना व्यय का 29.1 प्रतिशत है और 2016-17 में यह कुल आयोजना व्यय का 25.6 प्रतिशत रहने; तथा वित्त वर्ष 2016-17 में और बढ़कर 25.7 प्रतिशत होने की संभावना है।

4. सकल घरेलू उत्पाद विकास दर

50. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने हाल ही में, 2004-05 के पूर्ववर्ती आधार को बदलकर नए आधार 2011-12 से राष्ट्रीय लेखों के सकल संग्रहणों का संशोधन किया है। संशोधित आधार के अंतर्गत, सीएसओ ने 2011-12 से 2013-14 के तीन वर्षों के लिए अनुमान और 2014-15 हेतु अग्रिम अनुमान जारी

किए हैं। नई 2011-12 श्रृंखला के अंतर्गत सीएसओ द्वारा जारी किए गए स.घ.उ. के अनुमान (चालू और स्थिर दोनों बाजार मूल्यों पर) और विकास दरें 2004-05 श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व में जारी किए गए आंकड़ों से भिन्न हैं। नई श्रृंखला के अंतर्गत 2012-13 और 2013-14 के दौरान आर्थिक वृद्धि, स्थिर बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. में वृद्धि द्वारा मापित, क्रमशः 5.1 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत अनुमानित थी जो मई, 2014 में 2004-05 श्रृंखला के अंतर्गत जारी किए गए 4.7 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत के तदनु रूप आंकड़ों से उच्चतर थी। वर्ष 2013-14 के लिए चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. ₹ 11345056 करोड़ (नई श्रृंखला के अंतर्गत) अनुमानित था। 2014-15 के लिए अग्रिम अनुमानों में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जो 7.4 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि और 3.8 प्रतिशत की अधिरोपित मुद्रास्फीति में विसंयोजित की जा सकती है, चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के ₹ 12653762 करोड़ का स्तर प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है। इस अवधारणा के साथ कि अर्थव्यवस्था स्थिर मूल्यों के अंतर्गत और आगे सुधार करने के लिए सरकार के सुधार उपायों के साथ विकास गति प्राप्त करेगी, ₹ 14108945 करोड़ के स्तर को प्राप्त करके चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के 2015-16 में 11.5 प्रतिशत (8.5 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि और 2.8 प्रतिशत की अधिरोपित मुद्रास्फीति) की वृद्धि हासिल करने की आशा की जा सकती है। क्रमिक वृद्धि त्वरण के साथ और सतत् मूल्य स्थिरता की अवधारणाओं के अंतर्गत, 2016-17 और 2017-18 के दौरान चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की विकास दर क्रमशः लगभग 12.2 प्रतिशत और 12.4 प्रतिशत रहने की आशा की जा सकती है।

(ग) निम्नलिखित से संबंधित स्थिरता का आकलन

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन

51. 2014-15 के लिए संशोधित अनुमान में आयोजना-भिन्न व्यय सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 107.7 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। एक से अधिक राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में आयोजना-भिन्न व्यय उपभोगी व्यय हेतु उधार लिए गए संसाधनों के प्रयोग को सूचित करता है। विकासात्मक कार्य करने के लिए बृहत्तर राजकोषीय गुंजाइश की सुनिश्चितता हेतु इस असंतुलन को सही करने की आवश्यकता है। तथापि, 2015-16 में उच्चतर वितरण के कारण संकुचित हो रही केंद्र की राजस्व प्राप्तियों से अनुमान है कि आयोजना-भिन्न व्यय बढ़कर 114.9 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ रही ब्याज अदायगियां, VIIवें वेतन आयोग के प्रभाव सहित बढ़ती संस्थापन लागतें, सब्सिडियां और रक्षा आबंटन खर्च की इस मद को अधिक कठोर बनाते हैं। राजकोषीय समेकन और अधिक वितरण इस अनुपात की वृद्धि में समायोजन करते हैं। तथापि, आगे चलकर यह आशा है कि बढ़ते राजस्व और आयोजना-भिन्न खर्च के अंतर्गत वृद्धि पर नियंत्रण इस प्रवृत्ति को पलट देने के अवसर मुहैया कराएंगे तथा खर्च की मद को वहनीय सीमाओं

के भीतर लाएंगे। इस प्रकार, राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में आयोजना-भिन्न व्यय मध्यकालिक अवधि के मुकाबले 112.4 प्रतिशत से क्रमिक रूप से कम होकर 108 प्रतिशत रह जाएगा। राजस्व घाटे में 2011-12 में 4.5 प्रतिशत के उच्च स्तर से क्रमिक रूप से कम होकर 2013-14 में 3.1 प्रतिशत रह गया है और सं.अ. 2014-15 में 2.9 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है; यह अभी भी 31 मार्च, 2015 के लिए नियत 2 प्रतिशत के लक्ष्य से थोड़ा दूर है। इसके अलावा, प्रचलित परिस्थितियों के अंतर्गत, राजकोषीय रूपरेखा अवधारणाएं 2.4 प्रतिशत का राजस्व घाटा दर्शाती हैं जो नई एफआरबीएम पद्धति द्वारा 2 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से उच्च है। यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2016-17 में राजस्व घाटा अनुमान 2.0 प्रतिशत बैठता है जो एफआरबीएम के तहत नियत लक्ष्य है।

52. इसी प्रकार, प्रभावी राजस्व घाटा 2011-12 में 3.0 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 2.5 प्रतिशत रह गया और 2013-14 में यह 2.0 प्रतिशत रह गया। 2014-15 में सं.अ. 1.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष के अंत तक इसका समाप्त हो जाना अपेक्षित था। चौदहवें वित्त आयोग के पश्चात्, राज्यों को निधियों के अंतरण की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जैसाकि पिछले खंडों में स्पष्ट किया गया है। गरीबों और जरूरतमंद लोगों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, सरकार ने विकास संबंधी स्कीमों में राज्यों को उच्चतर संसाधनों को उन्हें सौंपकर और अधिक गुंजाइश प्रदान करते हुए कल्याणकारी कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, पूंजीगत व्यय के लिए सहायता अनुदान को राज्यों के लिए आंतरित निर्बंध निधियों के भीतर शामिल किया गया है। ऐसे परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में, संसाधनों के इष्टतम दोहन के एक उपाय के रूप में 'प्रभावी राजस्व घाटे' की क्षमता की महत्वपूर्ण जांच किए जाने की आवश्यकता है। यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि चौदहवें वित्त आयोग ने मानदंड के उन्मूलन की भी अनुशंसा की है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने संसद को यह सूचित किया है कि इस अनुशंसा की जांच की जाएगी।

53. पूर्ववर्ती भागों में वर्णित किए गए अनुसार वित्त आयोग के प्रभावों को देखते हुए राजकोषीय नियमों के पुनः अंशांकन अनुकरण में राजस्व खाते के लक्ष्य और राजस्व घाटे को पुनःनियत करने का प्रस्ताव है। आशा है कि 14वें वित्त आयोग की अवधि में केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों के पुनर्गठन के साथ राजस्व पक्ष पर सार्वजनिक वित्त में हुए अस्थिरों पर आवश्यक सुधार कर लिया जाएगा। सरकार ने राजकोषीय सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है और आयोजना स्कीमों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता स्वीकार की है। तथापि, चल रही स्कीमों की समीक्षा और पुनर्निर्माण को चरणबद्ध किया जाना होगा ताकि समाज के गरीब और उपेक्षित वर्गों के हितों को संरक्षित किया जा सके।

प्रतिबद्ध देयताओं को ऐसे बदलावों के प्रभावित होने से पूर्व इन्हें पूरा किया जाना होगा। इस प्रकार व्यय के मिश्रण के संबंध में किसी भी मूलभूत परिवर्तन को एक समयावधि में क्रियान्वित किया जा सकता है।

(ii) उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग

54. सरकारी व्यय की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण मानदंड राजकोषीय घाटे का आयोजना व्यय के साथ अनुपात है जोकि उधार लिए गए संसाधनों की तैनाती के लिए एक संकेतक है। 2015-16 के बजट अनुमान में ₹ 4,65,277 करोड़ के कुल आयोजना व्यय में अनुमानित राजकोषीय घाटे का 83.7 प्रतिशत है। कर राजस्वों पर दबाव के जारी रहने और आयोजना-भिन्न व्यय के उच्च बने रहने के साथ आशा है कि वित्त वर्ष 2016-17 में अनुपात मामूली रूप से गिरकर 83.2 प्रतिशत होगा और वित्त वर्ष 2017-18 में यह सुधर कर लगभग 89.5 प्रतिशत हो जाएगा जोकि विकास में सार्वजनिक संसाधनों की तैनाती में चिन्हित सुधार को इंगित करता है। राजकोषीय सुधारों में सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के ऋण और केंद्र के निवल कर

राजस्व की ब्याज अदायगी को धीरे-धीरे वहनीय स्तर पर कम करता है ताकि विकासात्मक प्रयोजनों के लिए बहुमूल्य सार्वजनिक संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सके। वित्त वर्ष 2013-14 में केंद्र के निवल कर राजस्व में ब्याज अदायगी कम होकर 45.9 प्रतिशत रह गई है। तथापि, वित्त वर्ष 2015-16 में कम राजस्व आधार के साथ अनुपात में 49.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। लोक वित्त साधनों में सुधार के साथ वित्त वर्ष 2016-17 में 47.5 प्रतिशत और 2017-18 में 45.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

55. गत कई वर्षों से पूंजी व्यय ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में पूंजी व्यय वित्त वर्ष 2003-04 में 23.2 प्रतिशत वृद्धि से घटकर लगभग 12 प्रतिशत रह गया है। प्रवर्तित निवेश उपलब्ध कराने और वृद्धि को बल देने के लिए पूंजी व्यय में सुधार करने की आवश्यकता है। राजस्व में कमी और आयोजना पर दबाव के बावजूद, वित्त वर्ष 2015-16 में पूंजी व्यय में संशोधित अनुमान 2014-15 के मुकाबले बढ़कर 25.5 प्रतिशत हो गया। सं.अ. 2014-15 के मुकाबले सुधार, कुल व्यय का 13.6 प्रतिशत अनुमानित है। रेलवे, सड़क आदि जैसे मुख्य अवसंरचना में आबंटनों का पर्याप्त रूप से प्रावधान किया गया है।